'मिट्टी के बर्तन (पॉटरी) बनाने की गतिविधि'
"ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई)" स्कीम के अंतर्गत

उद्देश्य

- मिट्टी के बर्तन (पॉटरी) बनाने वाले कारीगरों के तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना और उत्पादन लागत में कमी लाना
- कौशल विकास प्रशिक्षण तथा आधुनिक और स्वचालित उपकरण प्रदान करके मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों की आय को बढ़ाना
- उद्यान गमलों, कुल्हड़, सजावटी उत्पादों जैसे केन्द्रित उत्पादों पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के स्व-सहायता समूहों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना
- पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत अपनी इकाई स्थापित करने के लिए सफल मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को प्रोत्साहित करना
- निर्यात और बड़े खरीदार घरानों के साथ टाई-अप करके आवश्यक मार्केट लिंकेज विकसित करना
- देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के लिए विभिन्न नए उत्पाद और कच्चे माल का नवप्रवर्तन करना।

सहायता के प्रकार

- परंपरागत मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के लिए व्हील पर मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के साथ-साथ गैर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के लिए प्रेस मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के साथ-साथ गैर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के लिए जिग्गर-जॉली प्रशिक्षण कार्यक्रम
- मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करने के इच्छुक कुशल परंपरागत मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- मिट्टी के बर्तन बनाने का व्हील, क्ले ब्लंगर और ग्रेन्युलेटर आदि प्रदान करके सहायता

स्कीम के दिशानिर्देश डाउनलोड करें

कौन आवेदन कर सकता है

- 18 वर्ष और 55 वर्ष तक की आयु के कारीगर।
- संबंधित गतिविधि में प्रशिक्षित व्यक्ति, पूर्व में इसी गतिविधि में लगे व्यक्ति को उनकी शिक्षा और प्रोफाइल के आधार पर वरीयता दी जाएगी और अजा/अजजा/महिला उम्मीदवार/बीपीएल श्रेणी के लिए न्यूनतम 50%
- नए उद्योग शुरू करने की इच्छा रखने वाले गैर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को प्रेस मिट्टी के बर्तन बनाने और जिग्गर-जॉली आदि के प्रशिक्षण हेतु चुना जा सकता है।

आवेदन कैसे करें

- प्रायोगिक परियोजनाओं/प्रशिक्षण प्राप्त करने/मशीनों आदि की स्थापना करने के इच्छुक भावी लाभार्थी/स्व-सहायता समूहों से परियोजना प्रस्तावों के साथ आवेदन आमंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से केवीआईसी के राज्य/प्रभागीय निदेशकों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों का उत्तर देकर।
- विवरण जानने के लिए संबंधित राज्य कार्यालय, केवीआईसी से संपर्क करें।

किससे संपर्क करें

राज्य निदेशक,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
http://www.kviconline.gov.in पर पता उपलब्ध है
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी, मुंबई
दूरभाषः 022-26714370
ई-मेलःykbaramatikar[dot]kvic[at]gov[dot]in

अधिक जानकारी के लिएः
कृपया हमारे सिंगल विंडो सिस्टम@
www.champions.gov.in पर जाएं
अथवा ईमेल: champions@gov.in पर हमें लिखें।

'मधुमक्खी पालन की गतिविधि'
"ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई)" स्कीम के अंतर्गत

उद्देश्य

- मधुमक्खी प्रबंधन की वैज्ञानिक प्रथाओं को अपनाना;
- मधुमक्खी पालन में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना;
- मधुमक्खी पालकों/किसानों के लिए स्थाई रोज़गार सृजित करना;
- मधुमक्खी पालकों/किसानों को पूरक आय प्रदान करना;
- शहद और अन्य मधुमक्खी छत्ता उत्पादों के बारे में जागरुकता पैदा करना;
- क्रॉस पॉलिनेशन में मधुमक्खी पालन के लाभों के बारे में जागरुकता पैदा करना।

सहायता का प्रकार

- निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों/राज्य मधुमक्खी पालन विस्तार केंद्रों/मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से लाभार्थियों को 5 दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- मधुमक्खी बक्सों, टूल किटों आदि से सहायता।

स्कीम के दिशानिर्देश डाउनलोड करें

कौन आवेदन कर सकता है

- फोटोग्राफ के साथ आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र आदि वाले 18 वर्ष से 55 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति।
- एक परिवार से एक व्यक्ति मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ 10 मधुमक्खी बक्सों और टूल किट (बी वेल, स्मोकर, चाकू और हाइव टूल) के लिए पात्र होगा।
- केवीआईसी/केवीआईबी/नाबार्ड/केवीके/कृषि-बागवानी बोर्ड/पात्र मधुमक्खी एनजीओ आदि द्वारा मधुमक्खी पालन में पहले से प्रशिक्षित व्यक्ति मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ मधुमक्खी के बक्सों और टूल किट की सहायता पाने के लिए पात्र होगा।
- इसी/समान प्रयोजन के लिए अन्य सरकारी स्कीमों का लाभ ले चुके व्यक्ति पात्र नहीं होंगे; लाभार्थी को इस आशय का घोषणापत्र देना होगा।

आवेदन कैसे करें

- प्रायोगिक परियोजनाओं/प्रशिक्षण प्राप्त करने/मशीनों आदि की स्थापना करने के इच्छुक भावी लाभार्थी/स्व-सहायता समूहों से परियोजना प्रस्तावों के साथ आवेदन आमंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से केवीआईसी के राज्य/प्रभागीय निदेशकों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों का उत्तर देकर।
- विवरण जानने के लिए संबंधित राज्य कार्यालय, केवीआईसी से संपर्क करें।

किससे संपर्क करें

राज्य निदेशक,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
http://www.kviconline.gov.in पर पता उपलब्ध है
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी, मुंबई
दूरभाष: 022-26714370
ई-मेल:ykbaramatikar[dot]kvic[at]gov[dot]in

अधिक जानकारी के लिए:
कृपया हमारे सिंगल विंडो सिस्टम@
www.champions.gov.in पर जाएं
अथवा ईमेल: champions@gov.in पर हमें लिखें।

'अगरबत्ती बनाने की परियोजना'
"ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई)" स्कीम के अंतर्गत

उद्देश्य

- देश में अगरबत्ती उद्योग को पुनर्जीवित करना;
- आयात को कम करने के लिए अगरबत्ती के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाना;
- अगरबत्ती क्षेत्र में कार्यरत कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना और अगरबत्ती निर्माण मशीनों, अगरबत्ती निर्माण के लिए कच्चे माल आदि से उनकी सहायता करना;
- परंपरागत कारीगरों के लिए स्थायी रोजगार का सृजन करना और उनका मेहनताना बढ़ाना; और
- बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज विकसित करना और कारीगरों और स्व-सहायता समूहों आदि को पथ प्रदर्शन प्रदान करना।

सहायता का प्रकार

- अगरबत्ती उद्योग में अनुभवी व्यक्तियों/विशेषज्ञों द्वारा 10 दिन का मुफ्त अगरबत्ती कौशल उन्नयन प्रशिक्षण (प्रति बैच 20 उम्मीदवार)
- अगरबत्ती निर्माण मशीनों, अगरबत्ती निर्माण के लिए कच्चे माल आदि से सहायता।

स्कीम के दिशानिर्देश डाउनलोड करें

कौन आवेदन कर सकता है

- फोटोग्राफ के साथ आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड आदि वाले 18 वर्ष से 55 वर्ष की आयु वर्ग के कारीगर।
- पैडल संचालित मशीन के लिए एक परिवार से एक व्यक्ति और स्वचालित अगरबत्ती मशीन के लिए समूह गतिविधि (एसएचजी) हेतु एक परिवार से दो व्यक्ति।
- स्व-सहायता समूह या समूहों के लिए, सभी सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- केवीआईसी/केवीआईबी/नाबार्ड/केवीके /राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों या बैंक/पात्र एनजीओ द्वारा अगरबत्ती बनाने में पहले से प्रशिक्षित व्यक्ति।
- अगरबत्ती के उत्पादन के लिए केवीआई संस्थाओं के साथ कार्यरत कारीगरों को वरीयता दी जाएगी।
- उसी/समान प्रयोजन के लिए अन्य सरकारी स्कीमों का लाभ ले चुके व्यक्ति पात्र नहीं होंगे; लाभार्थी को इस आशय का घोषणापत्र देना होगा।

आवेदन कैसे करें

- प्रायोगिक परियोजनाओं/प्रशिक्षण प्राप्त करने/मशीनों आदि की स्थापना करने के इच्छुक भावी लाभार्थी/स्व-सहायता समूहों से परियोजना प्रस्तावों के साथ आवेदन आमंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से केवीआईसी के राज्य/प्रभागीय निदेशकों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों का उत्तर देकर।
- विवरण जानने के लिए संबंधित राज्य कार्यालय, केवीआईसी से संपर्क करें।

किससे संपर्क करें

राज्य निदेशक,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
http://www.kviconline.gov.in पर पता उपलब्ध है
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी, मुंबई
दूरभाष: 022-26714370
ई-मेल:ykbaramatikar[dot]kvic[at]gov[dot]in

अधिक जानकारी के लिए:
कृपया हमारे सिंगल विंडो सिस्टम@
www.champions.gov.in पर जाएं
अथवा ईमेल: champions@gov.in पर हमें लिखें।